भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
23.09.2020 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय वन नीति, 2018

2194. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी भूमि पर वन/पेड़ हैं;
(ख) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय वन नीति, 2018 बनाई है;
(ग) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों और कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विभिन्न शेयरधारकों से प्रारूप राष्ट्रीय वन नीति, 2018 पर टिप्पणियां/सुझाव मांगे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
(ङ) क्या नई राष्ट्रीय वन नीति में लोगों को सरकारी भूमि पर पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और उनके विपणन की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) नई राष्ट्रीय वन नीति को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून देश के वन आवरण का द्विवार्षिक रूप से आकलन करता है और इसके परिणामों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट अर्थात आइएसएफआर-2019 के अनुसार, देश में कुल वन और वृक्ष आवरण 8,07,276 [वन आवरण :- 7,12,249 (21.67%) और वृक्ष आवरण 95,027 (2.89%)] है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। आइएसएफआर-2017 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 5,188 वर्ग किलोमीटर (वन आवरण 3976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण 1212 वर्ग किलोमीटर) की वृद्धि हुई है। वन आवरण और वृक्ष आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 प्रमुख नीतिगत दस्तावेज है जिसमें देश के वनों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत समाविष्ट हैं।

मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को अद्यतन करने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद एक प्रारूप तैयार किया गया था। यह प्रारूप सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को परिचालित किया गया था। इस प्रारूप को सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में हितधारकों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटियों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मार्च, 2018 में पब्लिक डोमेन पर भी डाला गया था।

इन टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप में पारि-प्रणाली सेवाओं और पारिस्थितिकीय सुरक्षा के प्रावधान हेतु वनों के सतत प्रबंधन के आधार पर लोगों की आजीविका में सुधार करने, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने, कृषि-वानिकी और फार्म-वानिकी के संवर्धन, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का निराकरण, आदि सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में समुचित ढंग से संशोधन किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को अद्यतन करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। फिलहाल मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 प्रचालन में है।

*****

अनुबंध-1

'राष्ट्रीय वन नीति, 2018' के संबंध में दिनांक 23.09.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2194 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन आवरण और वृक्ष आवरण

(वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	कुल वन आवरण 2019	कुल वृक्ष आवरण 2019
आंध्र प्रदेश	1,62,968	29,137	3,914
अरुणाचल प्रदेश	83,743	66,688	848
असम	78,438	28,327	1,408
बिहार	94,163	7,306	2,003
छत्तीसगढ़	1,35,192	55,611	4,248
दिल्ली	1,483	195.44	129
गोवा	3,702	2,237	272
गुजरात	1,96,244	14,857	6,912
हरियाणा	44,212	1,602	1,565
हिमाचल प्रदेश	55,673	15,434	829
जम्मू और कश्मीर *	2,22,236	23,612	7,944
झारखंड	79,716	23,611	2,657
कर्नाटक	1,91,791	38,575	6,257
केरल	38,852	21,144	2,936
मध्य प्रदेश	3,08,252	77,482	8,339
महाराष्ट्र	3,07,713	50,778	10,806
मणिपुर	22,327	16,847	173
मेघालय	22,429	17,119	710
मिजोरम	21,081	18,006	441
नगालैंड	16,579	12,486	362
ओडिशा	1,55,707	51,619	4,648
पंजाब	50,362	1,849	1,592
राजस्थान	3,42,239	16,630	8,112
सिक्किम	7,096	3,342	36
तमिलनाडु	1,30,060	26,364	4,830
तेलंगाना	1,12,077	20,582	2,514
त्रिपुरा	10,486	7,726	231
उत्तर प्रदेश	2,40,928	14,806	7,342
उत्तराखंड	53,483	24,303	841
पश्चिम बंगाल	88,752	16,902	2,006
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	6,743	41
चंडीगढ़	114	22.03	25
दादरा और नगर हवेली	491	207	28
दमन और दीव	111	20.49	5
लक्षद्वीप	30	27.10	0.29
पुडुचेरी	490	52.41	23
कुल योग	**32,87,469**	**7,12,249**	**95,027**